ई मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
बागपत/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/बिजनौर/बरेली/पीलीभीत/एटा/झांसी/इलाहाबाद/प्रतापगढ/कानपुरनगर/कुशीनगर/फैजाबाद/सुल्तानपुर/गोण्डा/बहराइच/उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–सी– 07 बजट–100(2)/2010–11लखनऊ : दिनांक23 मार्च, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए "06–संग्रहीत जिला कार्यालय" के अन्तर्गत छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.11.2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या– संख्या–207/38–3–2010–1101/2011 दिनांक 28–2–2011(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये पुर्नविनियोग के माध्यम से प्राप्त रूपया 75000हजार की धनराशि में से 40 प्रतिशत एरियर की धनराशि रूपये 2302 हजार (तेईस लाख दो हजार मात्र) "संग्रहीत जिला कार्यालय " के अन्तर्गत आपके कार्यालय हेतु संलग्न विवरण के कालम संख्या–3 में दर्शायी गयी धनराशि का आवंटन किया जाता है।

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

4– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–अवशेषों का भुगतान–0701–ग्राम्य विकास विभाग –01–वेतन के नामें डाला जायेगा।

5– आवंटित धनराशि से सर्वप्रथम वित्तीय पर्ष 2010–11 के लिये मात्राकृत किये गये 40प्रतिशत ऐरियर का भुगतान किया जाय।

6– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि को केन्द्रीय नियन्त्रण रजिस्टर (आयोजनेत्तर पक्ष) के पृष्ठ संख्या–192 पर अंकित कर ली गयी है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 आगामी माह की 5 तारीख तक इस अनुभाग में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः–सी– 07 बजट–100(2)/2010–11 तद् दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,संलग्न विवरण में अंकित जनपद ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–3
4– संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, संलग्न विवरण में अंकित जनपद ।
6– गार्ड फाइल हेतु।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सी– 07 /बजट–100 (2)/2010–11 दिनांक 23-3-2011 मार्च,2011

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–

आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–अवशेषों का भुगतान–0701–ग्राम्य विकास विभाग–01 वेतन मद में आवंटन

(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	01–वेतन मद में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	बागपत	234	836
2	सहारनपुर	96	1996
3	मुजफफरनगर	108	2340
4	बिजनौर	272	1906
5	बरेली	17	2343
6	पीलीभीत	16	1658
7	एटा	89	1970
8	झांसी	104	2034
9	इलाहाबाद	142	2040
10	प्रतापगढ	99	2234
11	कानपुर नगर	93	1451
12	कुशीनगर	40	800
13	फैजाबाद	480	2727
14	सुल्तानपुर	190	2380
15	गोन्डा	167	2319
16	बहराइच	155	1711
	राज्य योग	2302	30745
	(रूपये तेईस लाख दो हजार मात्र)		

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या–207/38–3–2010–1101/2011

प्रेषक,

रूद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 | लखनऊःःदिनांकःः 28 फरवरी, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी0–01/बजट/सा0/2010–11 दिनांक 03–2–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लेखा शीर्षक 2230–01–103–01–01–42 मद में हो रही बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–विकास आयुक्त (मुख्यालय) के अन्तर्गत 03–मंहगाई भत्ता तथा 06–अन्य भत्ते में क्रमशः रू0 6,35,000/– एवं रू0 8,65,000/– तथा 102–सामुदायिक विकास–06 संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत 01–वेतन एवं 03–मंहगाई भत्ता, मद में क्रमशः रू0 2,00,00,000/– रू0 2,00,00,000/ तथा 800–अन्य व्यय–07– अवशेषों का भुगतान के अन्तर्गत 01–वेतन मद में रू0 3,35,00,000/– कुल रू0 7,50,00,000/– (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की स्वीकृत संलग्न पुनर्विनियोजन के अनुसार प्रदान की जाती है ।**

2– उक्त धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–001–निदेशन तथा प्रशासन, लेखाशीर्षक–2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–102 सामुदायिक विकास–06–संग्रहीत जिला कार्यालय तथा लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय–07–अवशेषों का भुगतान** के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–192/दस–ई–2/2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–207(1)/38–3–2010 तंददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संयुक्त आयुक्त(प्रशासन), ग्राम्य विकास,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, ग्राम्य विकास,उ0प्र0, लखनऊ।
(6) सीनियर आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद।
(7) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2/ वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
(8) मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

प्रपत्र बी0एम0–9

अनुदान संख्या व नाम 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) वित्तीय वर्ष 2010–2011

(धनराशि हजार रूपयें में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2230–01–103–01–01–42	1394286	392986	75000	75000	1219286
योग–	1394286	392986	75000	75000	1219286

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक – 2515–00–001–03–00–03	14454	15089	635	635	15089
2515–00–001–03–00–06	4224	5089	865	865	5089
2515–00–102–06–00–01	429860	449860	20000	20000	449860
2515–00–102–06–00–03	141854	161854	20000	20000	161854
2515–00–800–07–01–01	743540	777040	33500	33500	777040
योग	1333932	1408932	75000	75000	1408932

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–
   राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत निर्धारित स्मार्ट कार्डों का न बन पाना।
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–
   (अ) वेतन सम्बन्धी मद (01, 03, 06)–कर्मचारियों को ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाना एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में महंगाई भत्ते में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होना।
   (ब) अवशेष वेतन–बजट प्राविधान आवश्यकता से कम होना।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, 151 154 एवं 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या–आर.ई –756/ई–2/दस–2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

पत्र संख्या–207(2)/38–3–2011– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
2– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन (तीन मूल प्रति सहित)
4– अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
5– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ ।
7– गार्ड बुक ।

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।